रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-ए.पी.-अ.-06112026-277756
CG-AP-E-06112026-277756

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5787] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 2026/कार्तिक 13, 1948
No. 5787] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2026/KARTIKA 13, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण तट रेलवे)

अधिसूचना

विशाखपट्टणम, 3 नवंबर, 2026

का.आ. 6019(अ).— रेलवे अधिनियम,1989 की धारा 2 के उप धारा (7ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केंद्र सरकार नीचे दी गई कॉलम (6) में बताए गए अधिकारियों को, तालिका के कॉलम (2) में बताए गए विशेष रेलवे परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करती है। यह अधिकार उस राज्य में परियोजना को पूरा करने, उसके रखरखाव, प्रबंधन और परिचालन के लिए होगा जो तालिका के कॉलम (3) में बताया गया है, और यह अधिकार आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगा।

तालिका

क्र. सं.	विशेष रेलवे परियोजना	राज्य	जिला	मंडल का नाम	नामित भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	निडदवोलु एवं दुव्वाड़ा (198.10 कि.मी.) के	आंध्र प्रदेश	काकिनाड़ा	पिठापुरम	राजस्व मंडल अधिकारी,काकिनाड़ा
2				गोलाप्रौलु	

3	बीच तीसरी और चौथी लाइन			सामलकोटा	राजस्व मंडल अधिकारी, पेद्दापुरम
4				तोनडंगी	
5				तुनि	
6				शंखवरम	

[फा. सं. D.Con./BZA/NDD-DVD/3rd & 4th line /26-27/01/7A]

धवला श्रीनिवास राव, मुख्य इंजीनियर / निर्माण-I

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Coast Railway)

NOTIFICATION

Visakhapatnam, the 3rd November, 2026

S.O. 6019(E).— In exercise of the powers conferred by Clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in the column(6) of the Table below to perform the functions of the Competent Authority in respect of the Special Railway Project as mentioned in column (2) of the Table, for execution, maintenance, management and operation in the State mentioned in Column (3) of the said table with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Table

Sl.No	Special Railway Project	State	District	Mandal	Competent authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	3rd & 4th lines between Nidadavolu and Duvvada (198.10 Km)	Andhra Pradesh	Kakinada	Pithapuram	Revenue Divisional Officer, Kakinada
2				Gollaprolu	
3				Samalkot	Revenue Divisional Officer, Peddapuram
4				Thondangi	
5				Tuni	
6				Sankhavaram	

[F. No. D.Con./BZA/NDD-DVD/3rd&4th line /26-27/01/7A]

DHAVALA SRINIVASA RAO, Chief Engineer/Con-I

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.